न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 105/2019

विजयादेवी पत्नी श्री विनोद कुमार आयु 42 वर्ष जाति जाट निवासी चक 18 एलएनपी (मनफुलसिंहवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजेन्द्र पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी चक 18 एलएनपी (मनफुलसिंहवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1.	श्री रणजीत सारडीवाल अधिवक्ता	– – प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी संख्या 2

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 06.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–26.02.2020

प्राथी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 18 एल एन पी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–64/61 के मुरबा नं0–49 में कि0नं0 1/1 (0.127), 9 ता 12(1.012), 13/1(0.126), 18–19(0.506), 20/2(0.126) कुल रकबा 1.897 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 18 एल एन.पी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–51/49, 50 के मु.नं. 48 में किला नम्बर 1 ता 2 5 (4.5540) है0 नहरी भूमि अप्रार्थी [illegible] के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है नकल जमाबन्दी सम्वत–2069–72 संलग्न [illegible] है। पैरा संख्या–1 में वर्णित प्रार्थीया की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई अप्रार्थी सं0-[illegible] की कृषि भूमि पड़ती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर [illegible]1, 20, 21 70 के पश्चिम दिशा में पश्चिमी दिशा में 1–1 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन [illegible] रिकार्ड है तथा प्रार्थीया उक्त सरकारी रास्ता में से होकर अप्रार्थी सं.1 के रकबा मुरबा नं0–48 के किला नम्बर 1,2,3,4,5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में. 01 5– .015 हैक्टर भूमि में से होकर प्रार्थीया अपने खेत में आती जाती है तथा उपरोक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया को अपने कृषि भूमि में आने जाने का कोई अन्य नजदीक रास्ता विकल्प के तौर पर उपलब्ध नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested

इस पैरा में वर्णित मुरबा नं0–40 नकल जमाबन्दी सम्वत–2069–72 एवं नक्शा मौका संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया हमेशा अपनी भूमि के साथ में चिपती हुई अप्रार्थी संख्या–1 की कृषि भूमि मुरबा नं0–48 के किला नम्बर 1,2,3,4,5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में .015– .015 हैक्टर भूमि में से होकर प्रार्थीया अपने खेत में आती जाती रही है तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या–1 को उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि के बदले में राशि का भुगतान भी पूर्व में किया हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या–1 ने अब दिनांक 18.08.2019 को उक्त रास्ता में से जाने से मुझे रोक दिया है जिससे मनमुटाव पैदा हो चुका है जिससे प्रार्थीया को अपने खेत में जा नही सकती है इसलिये प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या–1 की कृषि भूमि मुरबा नं0–48 के किला नम्बर 1,2,3,4,5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में .015– 015 हैक्टर चौड़ा रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये जरूरत है ताकि अपने खेत में सरकारी रास्ता से होती हुई आसानी से प्रवेश कर सके इसलिये प्रार्थीया ने मुरबा नं0–48 के किला नम्बर 1,2,3,4,5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में .015–.015 है0 चौड़ा रास्ता चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू नियमानुसार आवेदन किया है। प्रार्थीया को उक्त रास्ते के सिवाय अन्य कोई रास्ता अपने खेत में जाने लो उपलब्ध नही है जिसके कारण प्रार्थीया को काश्त करने में अत्यधिक परेशानी दष्टया प्रत्येक मुरब्बे मे आने–जाने के लिये रास्ता देना राज्य सरकार का कर्तव्य है ऐसी अनकूल परिस्थिति में प्रार्थीया को उसकी भूमि में आने–जाने के लिये रास्ता की माँग को स्वीकार किया जाना इन्साफ की दृष्टि से भी अति आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा उक्त वर्णित रास्ता के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं0–1 से दिनांक 18.08.19को निवेदन किया तो अप्रार्थी सं0–1 ने साफ इनकार कर दिया यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है इनकारी से प्रार्थीया को वादकारण हासिल हुआ है। धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो मुआवजा का प्रावधान दिया गया है प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या–1 को उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि के प्रतिफल में सम्पूर्ण राशि का भुगतान पूर्व में ही कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 18 एल.एन.पी. के मुरबा न0–48 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में .015–.015 हैक्टर चौड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व में आने–जाने के लिये मन्जूर किया जाकर रास्ता चालू करने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के नोटिस की तामील विधिवत होने के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 06.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जरिए क्रमांक राजस्व/19/1264 दिनांक 31.10.2019 को रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई अन्य सविधाजनक रास्ता [illegible] गया रास्ता भूमि में पूर्व मे कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है न ही कोई प्रचलित [illegible] पर चल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:31 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वकील [illegible] किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु [illegible]कल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है। प्रार्थी के पास रास्ते का अभाव है, प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः प्रार्थी को उसके रकबा में आने–जाने के लिए चक 18 एल.एन.पी. के मुरबा

न0–48 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 के उत्तरी दिशा में से प्रत्येक में .015–.015 हैक्टर चौड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:31 IST
Reason: SelfAttested

(विविध प्रकरण संख्या 105/2019 अनवान विजय देवी बनाम राजेन्द्र)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अर्न्त0 धारा 251ए RTA

विजया देवी ब ना म राजेन्द्र

दिनांक :–15.06.2020

!! संशोधित आदेश !!

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 प्रस्तुत किया गया था किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु पूरे भारत में जारी लॉक डाउन के मद्देनजर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा उक्त शीर्षक के प्रकरण में दिनांक 26.02.2020 रास्ता स्वीकृत किया गया था। निर्णय के प्रथम पेज पर सहवन से प्रार्थीया के पति का नाम विरेन्द्र कुमार के स्थान पर विनोद कुमार अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे धारा 151–152 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र संख्या 105/2019 शीर्षक विजयादेवी बनाम राजेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के पृष्ठ संख्या 1 पर प्रार्थीया के पति का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विरेन्द्र कुमार पढ़ा जावे। उक्त संशोधन निर्णय दिनांक 26.02.2020 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में आज दिनांक 15.06.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर